



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238942
CG-DL-E-20092022-238942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4184]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4184]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4368(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी.13.7 (तहसील कैपस मिरज) तक के भूखण्ड पर रास्ते के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दैनिक ललकार " को "२१/०६/२०२२" और "टाईम्स ऑफ इंडिया" "१८/०६/२०२२" को दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी.13.7 (तहसील कैपस मिरज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सांगली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कवठेमहांकल				
	गांव का नाम: कदमवाडी				
1	115 Part	निजी	कृषक	0.019	कोंडीबा ज्ञानू यादव. (११५ पार्ट)
2	116 Part	निजी	कृषक	0.031	चंद्रकांत बापू यादव. (११६ पार्ट)
3	390	निजी	कृषक	0.01	कमल उत्तम यादव, सुरेश उत्तम यादव, अंकुश उत्तम यादव, लहु उत्तम यादव, मनीषा धनाजी कोडग, तानुबाई बाबुराव चव्हाण, नाना गणू यादव, विजय राजाराम यादव, कांता काशिनाथ शिंदे, प्रभावती अरुण निकम, गोरख शामराव यादव, भिमराव शामराव यादव, तुळशीराम शामराव यादव, मच्छिंद्र शामराव यादव, सुनंदा सुभाष झुरे, अशोक रामचंद्र यादव, शकुंतला रामचंद्र यादव, सतीश रामचंद्र यादव. (३९०)
4	392 Part	निजी	कृषक	0.013	सुनील पांडुरंग लिमकर. (३९२ पार्ट)
5	420	निजी	कृषक	0.015	चन्द्रकांत बापू यादव. (४२०)
6	422	निजी	कृषक	0.01	सुनील पांडुरंग लिमकर. (४२२)

7	88 Part	निजी	कृषक	0.01	रमेश जनार्दन कदम, सागर उत्तम कदम. (८८ पार्ट)
8	90 Part	निजी	कृषक	0.03	विठ्ठल बाळू यादव. (९० पार्ट)
			कुल	0.138	

[फा. सं. 12037/66/2017-MAH-P6/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4368(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Road Maintenance, management and operation of NH166E on the stretch of land from Km 0 to Km 13.7 (Tehsil Campus Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Lalkar Sangli” dated 21/06/2022 and “Times Of India” dated 18/06/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH166E in the stretch of land from Km 0 to 13.7 (Tehsil Campus Miraj) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kavathemahankal				
	Village: Kadamwadi				
1	115 Part	Private	Agriculture	0.019	Kondiba Dnyanu Yadav. 115 Part
2	116 Part	Private	Agriculture	0.031	Chandrakant Bapu Yadav. 116 Part

3	390	Private	Agriculture	0.01	Kamal Uttam Yadav, Suresh Uttam Yadav, Ankush Uttam Yadav, Lahu Uttam Yadav, Manisha Dhanaji Kodag, Tanubai Baburao Chavan, Nana Ganu Yadav, Vijay Rajaram Yadav, Kanta Kashinath Shinde, Prabhavati Arun Nikam, Gorakh Shamrao Yadav, Bhimrao Shamrao Yadav, Tulshiram Shamrao Yadav, Machhindra Shamrao Yadav, Sunanda Subhash Jhure, Ashok Ramchandra Yadav, Shakuntala Ramchandra Yadav, Satish Ramchandra Yadav.. 390
4	392 Part	Private	Agriculture	0.013	Sunil Pandurang Limkar. 392 Part
5	420	Private	Agriculture	0.015	Chandrakant Bapu Yadav. 420
6	422	Private	Agriculture	0.01	Sunil Pandurang Limkar. 422
7	88 Part	Private	Agriculture	0.01	Ramesh Janardan Kadam, Sagar Uttam Kadam. 88 Part
8	90 Part	Private	Agriculture	0.03	Vitthal Balu Yadav. 90 Part
			TOTAL	0.138	

[F. No. 12037/66/2017-MAH-P6/3D1]

RAJESH GUPTA, Director